न्यायालय लेण्डरिकोर्ड अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमंद
(पीठासीन अधिकारी – दिव्यांशु शर्मा आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः– 999 / 2018 (प्रा0प0)
दायर दिनांकः– 30 / 08 / 2018
निर्णय दिनांकः– 20 / 03 / 2020

अनवान

1. अर्जुन लाल पिता रामा जाति जीनगर निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा

प्रार्थी

बनाम

1. उदयलाल पिता प्रताप जाति रेगर निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
2. शेलेन्द्र कुमार पिता सत्यनारायण जाति ढोली निवासी मदारा तहसील रेलमगरा
3. तहसीलदार, रेलमगरा, जिला राजसमंद

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,129,111 भू राजस्व अधिनियम

: : निर्णय : :

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 129, 111 भू राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत किया कि ग्राम रेलमगरा में प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी सख्या 3743 / 2209 रकबा 01–02 बीघा बारानी चतुर्थ स्थित है प्रमाण में नकल जमाबंदी व नक्शाट्रेस प्रस्तुत है। प्रार्थी की आराजी सख्या 3743 / 2209 के पुर्वी दिशा में विपक्षी सख्या 01 व 02 की भूमियां है जिसके आराजी सख्या 2740 / 2209 / 1 एवं 3740 / 2209 मीन स्थित है। प्रार्थी की उक्त आराजीयात विपक्षी सख्या 01 व 02 की आराजीयात के मध्य सीमांकन के रूप में कोई स्थाई सीमा चिन्ह अकिंत नहीं है और न ही मौके पर कोई डोल , थोहर बाड, इत्यादि है जिससे प्रार्थी एवं विपक्षी सख्या 01 व 02 के बीच सीमा संबंधि लडाई झगडा आये दिन होते रहते है। प्रार्थी से विपक्षी द्वारा आये दिन सीमा संबंधी विवाद करने से एवं अनाधिकृत रूप से प्रार्थी की आराजीयात् में प्रवेश कर उक्त आराजीयात् पर कब्जा करने की कोशिश करने के कारण व विपक्षी अपनी आराजी में मिलाने के लिए प्रयासरत रहते है जिस कारण प्रार्थी ने दिनांक 10 / 05 / 2017 को

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

तहसीलदार रेलमगरा के आदेशानुसार प्रार्थी की आराजीयात् पर मौके पर पुख्ता सीमा जानकारी करवाई गई एवं मौका पर्चा बनवाया गया परन्तु उक्त सीमा जानकारी होने के बावजुद भी विपक्षी मानने को तैयार नहीं है। जिससे स्थाई चिन्ह करवाये जाने आवश्यक है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार सें सीमा को लेकर कोई विवाद न हो इस हेतु उक्त प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। विपक्षी सख्या 03 भूमिधारक होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है अन्यथा इनके विरूद्ध कोई दाद नही चाही गई है। प्रार्थी द्वारा पटवार हल्का रेलमगरा से दिनांक 10/05/2017 को सीमा जानकारी कराने के बावजुद भी विपक्षी सख्या 01 व 02 मानने को तैयार नहीं है जिस कारण प्रार्थी को प्रार्थना पत्र का हेतुक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम रेलमगरा में स्थित प्रार्थी की आराजी सख्या 3743/2209 के पूर्वी दिशा में विपक्षी सख्या 01 व 02 की आराजी सख्या 3740/2209 के मध्य पत्थरगढी कराये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें तथा विपक्षी सख्या 03 को कमीश्नर मुकर्रर कर उक्त आदेश की पालना कराई जावें । कमीश्नर खर्चा नियमानुसार प्रार्थी जमा कराने को तैयार है।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी संख्या 01 फौत हो कायम मुकाम प्रस्तुत नही होने से प्रकरण में कार्यवाही अबैट की गयी, विपक्षी संख्या 02 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये तथा विपक्षी संख्या 03 भूमि धारक होकर उनके विरूद्व कोई दाद नही चाही गयी है।

प्रार्थी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि का सीमाकंन कराये जाने का हक अधिकार निहीत कर रखा है।

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम रेलमगरा में प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी सख्या 3743/2209 रकबा 01-02 बीघा एवं विपक्षीगण की आराजी सख्या 3743/2209 के मध्य पत्थरगढी कराये जाने हेतु भू0अ0नि0 रेलमगरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी करा पालना से अवगत करावें। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 20/03/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
लैण्ड रेकार्ड अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा
रेलमगरा